न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 236/23 (धारा 75 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/256)

रामोतार पुत्र केसरलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कुशलपुरा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर।
2. प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कुशलपुरा तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर।
3. तहसीलदार तहसील मित्रपुरा जिला सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर स0 मा0 दिनांक 23.11.2015 वसिलसिले आवंअन आदेश कमांक 7368 दिनांक 23.11.2023

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांकः– 26.12.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर स0मा0 के निर्णय दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कुशलपुरा तहसील बौली की मांग पर तहसीलदार बौली के प्रस्तावानुसार एवं उपजिला कलक्टर बौली की अभिशंषा पर शिक्षा विभाग को राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कुशलपुरा के भवन एवं खेल मैदान के लिऐ ग्राम कुशलपुरा तहसील बौली में स्थित भूमि खसरा नम्बर 360 कुल रकबा 2.22 है0 में से 0.77 है0 व खसरा नम्बर 361 कुल रकवा 1.64 है0 में से 0.24 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.86 है0 किस्म सिवायचक वंजड में से 1.01 है0 भूमि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प.6 (10) राज–6/99/2/दिनांक 13 फरवरी 2001 के अंतर्गत स्कूलों चिकित्सालयों एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजकीय अनाधिमुक्त भूमि का आवंटन आदेश 1963 के अंतर्गत निशुल्क आवंटित की गई। अपीलान्ट ने इस आदेश के खिलाफ अदालत हाजा में अपील पेश करते हुये यह उज्रदारी की है कि आवंटन आदेश दिनांक 23.11.2015 से अपीलान्ट प्रभावित है, क्योंकि रैस्पो0 संख्या 1 ने गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के कब्जे के खसरा नम्बर 1154/364 रकवा 0.25 है0 ग्राम कुशलपुरा तहसील मित्रपुरा का आवंटन रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में कर दिया है। अपील पेश होने पर अपील पेश होने पर दर्ज

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 22.11.2015 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने साविक खसरा नम्बर 360/ 2.22 है0 में से रकबा 0.77 है0 (नवीन खसरा नम्बर 1153/360 के साथ साथ खसरा नम्बर 361/1.64 है0 में से 0.24 है0) नवीन खसरा नम्बर 1154/361 ग्राम कुशलपुरा तहसील बौली नवीन तहसील मित्रपुरा का आवंटन रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया है। अपीलान्ट खसरा नम्बर 361 कुल रकबा 1.64 है0 में से 0.24 है0 का जो आवंटन रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया है उससे प्रभावित है, क्योंकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा व काश्त है। खसरा नम्बर 361 कुल रकबा 1.64 है0, जिसका साविक नम्बर 187 रकबा 12 बीघा 5 विस्वा था में से दिनांक 26.12.2001 को 0.25 है0 रकबा धौत्या पुत्र मोहनलाल व गौरा पत्नी धौत्या को आवंटन हुआ था। जरिये नामान्तरकरण संख्या 785 से उक्त भूमि की खातेदारी धौत्या व गौरा के नाम दर्ज की गई। सैटिलमेन्ट के बाद खसरा नम्बर 187 का नया नम्बर 361 रकबा 1.4 है0 निर्मित हुआ और तरमीम होकर धौत्या व गौरा का नया नम्बर 361/1095 रकबा 0.25 है0 दर्ज हुआ। अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 361/1095 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खातेदार धौत्या व गौरा से क्रय किया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 371 दिनांक 06.04.2017 से अपीलान्ट के नाम खातेदारी दर्ज हुई। जिस जगह धौत्या व गौरा का लगभग 20 साल से कब्जा था, उसी जगह अपीलान्ट ने कब्जा प्राप्त किया था। तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन प्रस्ताव में अपीलान्ट की खातेदारी के रकबे 361/1095 (नवीन खसरा नम्बर 1154/361) को दर्शाया गया, जिसके आधार पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से अपीलाधीन आवंटन आदेश पारित किया गया है। उक्त समस्त कार्यवाही मौका व रिकार्ड के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। साविक खसरा नम्बर 361 रकबा 1.64 है0 में से 0.24है0 भूमि रैस्पो0 संख्या 2 को आवंटित की गई है। जिसका नवीन खसरा नम्बर 1154/361 है। यह रकबा मौके पर खाली नहीं है, वरन यह रकबा अपीलान्ट की खातेदारी खसरा नंबर 361/1095 (नवीन खसरा नम्बर 1131/361) है। इस खसरा नम्बर 1154/361 पर अपीलान्ट के मकान बाडे आदि बने हुये है। अपीलान्ट की खातेदारी में जो नम्बर 1154/361 दर्ज किया गया है वह मौके से काफी दूर नक्शा ट्रैस में दिखाया गया है। आवंटन प्रस्ताव भेजते समय खसरा नम्बर 361 में अपीलान्ट के रकबे को नही दर्शाते हुये अपीलान्ट की खातेदारी के खसरा नम्बर 361/1095 को नक्शे में नहीं दर्शाया गया। खसरा नम्बर 361/1095 का प्रस्ताव बना कर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रेषित किया गया जिस पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में आवंटित कर दिया है। आज्ञा दिनांक 23.11.2015 खिलाफ मौका व रिकार्ड के विपरीत व नियमों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है। अपीलान्ट ने इस गलत आवंटन की बाबत

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के यहां शिकायत की जिन्होंने तत्कालीन तहसीलदार बौली से इस बाबत रिपोर्ट मांगी। तहसीलदार बौली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.5.2018 में अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि की है। इस रिपोर्ट के आधार पर रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उपखण्डाधिकारी बौली को नया आवंटन प्रस्ताव भेजने का आदेश दिनांक 16.8.2018 को दिया और आवंटन के समय नियुक्त तहसीलदार व अन्य राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध 17 सी सी ए की कार्यवाही प्रारम्भ की। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के आदेश दिनांक 16.8.2018 के बावजूद आज दिनांक तक कोई नया प्रस्ताव रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास नहीं भेजा गया है। रिपोर्ट दिनांक 25.5.2018 व रैस्पोडेन्ट संख्या 1 का आदेश दिनांक 16.8.2018 अपीलान्ट के कथनों की पुष्टि करता है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.11.2015 निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण व नियमों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी के है। अपीलाधीन आवंटन आदेश एकतरफा में अपीलान्ट की बैक पर बिना सुने पारित किया गया गया है। अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलाधीन आदेश के संबंध में दिनांक 15.09.2022 को वकील द्वारा अपीलान्ट को यह कानूनी सलाह दी गई कि आवंटन आदेश की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहां होगी। इस पर अपीलान्ट भरतपुर आया और अपने वकील से सम्पर्क किया और दिनांक 15.09.2022 को कानूनी सलाह मिलने पर यह अपील बिना किसी देरी के अदालत हाजा में पेश की है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.11.2015 निरस्त किया जावे तथा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को दिये गये निर्देशों के क्रम में अन्य भूमि का आवंटन किये जाने के आदेश दिये जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गई है। इसलिए मियाद संबंधी बिन्दु पर उक्त अपील खारिज की जावे। इसके अलावा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक से प्राप्त हुई मौका रिपोर्ट, तहसीलदार से प्राप्त प्रस्ताव व उप जिला कलक्टर बौंली से प्राप्त अभिशंषा के आधार पर उक्त आवंटन नियमानुसार रैस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किया जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.11.2015 यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व

अपीलाधीन आवंटन आदेश की जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित जानकारी की दिनांक पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आवंटन अधिकारी जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने भी उक्त आवंटन को गलत मानकर नया आवंटन प्रस्ताव भिजवाये जाने के निर्देश उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार को दिये हैं तथा गलत आवंटन प्रस्ताव भिजवाये जाने पर सी.सी.ए नियम 17 के तहत दोनों अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में सरकारी पैरोकार का यह तर्क की आवंटन नियमानुसार हुआ है, मानने योग्य नहीं है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.11.2015 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.11.2015 के विरूद्ध अदालत हाजा में अपील दिनांक 19.09.2022 को मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील के साथ संलग्न दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन आवंटन आदेश की अपील किये जाने के बारे में कानूनी जानकारी नहीं होने व इस संबंध में अभिभाषक से दिनांक 15.09.2022 को सम्पर्क किये जाने पर अदालत हाजा में अपील पेश किये जाने की कानूनी राय दिये जाने के बाद उक्त अपील बिना किसी विलम्ब के पेश किये जाने का उल्लेख किया है तथा इस संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया है और न ही काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलाधीन आवंटन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं रह जाता है। इसके अलावा भी माननीय राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालयों को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए। अतः अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय कुशलपुरा तहसील बौंली की ओर से विधालय भवन एवं खेल मैदान हेतु भूमि उपलब्ध करवाने हेतु तहसीलदार बौंली को दिनांक 24.08.2015 को पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ग्राम कुशलपुरा के खसरा नंबर 360 रकबा 0.77 व खसरा नंबर 361 रकबा 0.24 है0 भूमि खेल मैदान एवं भवन निर्माण

हेतु आवंटित किये जाने हेतु निर्धारित चैकलिस्ट में प्रस्ताव बनाकर पटवारी हल्का की ओर से प्रस्तुत किये जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच की गई एवं तहसीलदार बौंली द्वारा प्रस्ताव तैयार किये गये। जिसे उप जिला कलक्टर बौंली ने पत्र दिनांक 15.10.2015 के द्वारा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को अपनी अभिशंषा के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलपुरा को खेल मैदान एवं भवन निर्माण हेतु खसरा नंबर 360/0.77 व 361/0.24 है0 भूमि आवंटित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इन प्रस्तावों के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का भी प्रेषित की गई, जिसमें प्रस्तावित भूमि आवंटन हेतु उपयुक्त होने तथा अतिक्रमण रहित होने का उल्लेख किया गया। उप जिला कलक्टर बौंली से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.11.2015 को जारी किये गये। इस आवंटन के संबंध में अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया गया। जिसमें उसकी खातेदारी के खसरा नंबर 359/1095 रकबा 0.25 है0 के गलत रूप से विद्यालय हेतु आवंटित किये जाने व गलत तरमीम किये जाने के कारण विद्यालय के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। जिस पर तहसीलदार बौंली से वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार बौंली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.05.2018 में यह उल्लेख किया कि आवंटन प्रस्ताव में संलग्न नक्शा ट्रेस में आवेदक धोलया पुत्र मनफुल गुर्जर की कब्जेयुक्त खातेदारी भूमि (जिसको श्री रामोतार पुत्र श्री केसरलाल गुर्जर) को नहीं बताया जाकर खातेदारी भूमि में शामिल किया गया है। साविक नक्शा शीट ग्राम कुशलपुरा में साविक खसरा नंबर 187 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा में से धोलया वगैराह को आवंटित भूमि रकबा 1 बीघा वर्तमान आराजी खसरा नंबर 361/1095 की वर्तमान नक्शा शीट में तरमीम नहीं हो रही है। राजस्व ग्राम कुशलपुरा में आराजी खसरा नंबर 361/1 रकबा 0.24 व खसरा नंबर 361/1095 रकबा 0.25 है0 का मौका ग्रामवासियों की उपस्थिति में देखा गया। मौके पर आराजी खसरा नंबर 361/1 रकबा 0.24 है0 पर प्रार्थी रामोतार पुत्र केसरलाल गुर्जर का (राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु आवंटित भूमि) पर काबिज है। मौके पर खसरा नंबर 361/1 में 40x15 वर्गफीट में जमीन की सतह से 5 फीट ऊंची कुर्सी तक मकान निर्माण है। एक बाड़ा भैंस–बकरियों हेतु बना हुआ है। शेष भूमि पर प्रार्थी ने लकडियां आदि डालकर कब्जा कर रखा है। कब्जेशुदा भूमि प्रार्थी ने धोलया पुत्र मोहनलाल, गौर पुत्री धोलया गुर्जर से कय किये जाने का उल्लेख किया है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से उप जिला कलक्टर बौंली को पत्र दिनांक 16.08.2018 के द्वारा यह लिखा गया कि आवंटन प्रस्ताव में आवेदक धोलया पुत्र मनफूल गुर्जर की कब्जेयुक्त खातेदारी भूमि को नहीं बताया जाकर खातेदारी भूमि को शामिल किया गया है। प्रकरण में गलत आवंटन होने के कारण भूमि का कब्जा विद्यालय को नहीं संभलाया जा राका है। अब उक्त विद्यालय के भवन व खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन किये जाने हेतु नवीन प्रस्ताव बनाये जाकर अविलम्ब भिजवाये जावें। गलत आवंटन प्रस्ताव भिजवाये जाने के कारण श्री बद्रीनारायण मीना तत्कालीन

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

तहसीलदार बौंली एवं श्री कन्हैयालाल जागिड तत्कालीन पटवारी हल्का कुशलपुरा के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम 17 के तहत आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र जारी किये जाने संबंधी यू.ओ.नोट दिनांक 13.08.2018 का आवंटन संबंधी पत्रावली में संलग्न है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आवंटन आदेश गलत जारी हुआ है, क्योंकि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा तहसीलदार बौंली से प्राप्त हुई रिपोर्ट दिनांक 25.05.2018 के आधार पर उप जिला कलक्टर बौंली को पत्र दिनांक 16.08.2018 के द्वारा नये प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया है। उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.11.2015 को यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.11.2015 जिसके द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलपुरा को भवन व खेल मैदान के लिए ग्राम कुशलपुरा के खसरा नंबर 360 रकबा 2.22 है0 में से 0.77 व खसरा नंबर 361 रकबा 1.64 है0 में से 0.24 है0 आवंटित किया गया है, को निरस्त किया जाता है। प्रकरण जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उनकी ओर से उप जिला कलक्टर बौंली को लिखे गये पत्र दिनांक 16.08.2018 के क्रम में विद्यालय के भवन व खेल मैदान हेतु भूमि आवंटित किये जाने हेतु नवीन प्रस्ताव प्राप्त कर विद्यालय के पक्ष में नियमानुसार भूमि आवंटित किये जाने की कार्यवाही करें तथा तत्कालीन तहसीलदार व पटवारी जिनके द्वारा खातेदारी भूमि का आवंटन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, के विरूद्ध प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग की ओर से प्रभारी अधिकारी स्थापना/ भू अभिलेख अनुभाग को लिखे गए यू.ओ.नोट क्रमांक प. 12(1)(1)(65)विद्यालय/राजस्व/15/5993–94 दिनांक 13.08.2018 जिसके द्वारा श्री बद्रीनारायण मीना तत्कालीन तहसीलदार बौंली एवं श्री कन्हैयालाल जांगिड तत्कालीन पटवारी को सी.सी.ए. नियम 17 के तहत जारी किये गये आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र के संबंध में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही एक माह में कर इस न्यायालय को अवगत करावें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 26.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
राजस्व संभागीय आयुक्त
भरतपुर